रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 853] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 11, 2007/आषाढ़ 20, 1929
No. 853] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 11, 2007/ASADHA 20, 1929

## विधि एवं न्याय मंत्रालय

## ( विधायी विभाग )

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2007

**का.आ. 1125 ( अ ).**– राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :

**"आदेश**

श्रीमती जमुना देवी, विरोधी दल की नेता, मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्री कृष्ण मुरारी मोघे और श्री शिवराज सिंह चौहान, संसद सदस्यों (लोकसभा) की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाते हुए तारीख 26 मार्च, 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है ;

और राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन, तारीख 29 मार्च, 2006 के एक निर्देश द्वारा इस बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या श्री कृष्ण मुरारी मोघे और श्री शिवराज सिंह चौहान, संसद सदस्य (लोकसभा) संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन लोकसभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं ;

और निर्वाचन आयोग ने पहले ही 6 जून, 2006 को श्री शिवराज सिंह चौहान की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर अपनी राय दे दी है ;

और अब, निर्वाचन आयोग ने श्री कृष्ण मुरारी मोघे, जो अप्रैल-मई, 2004 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन में लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर अपनी राय दे दी है ;

और श्री कृष्ण मुरारी मोघे (प्रत्यर्थी) के संबंध में यह आरोप है कि उन्हें मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और वे, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा उन्हें दी गई मंत्रिमंडल सदस्य की सम हैसियत के कारण, राज्य में मंत्रिमंडल सदस्य को उपलब्ध हैसियत, स्थिति, परिलब्धियों का लाभ ले रहे हैं ;

और याची ने यह और कथन किया है कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति, राज्य सरकार के आदेश द्वारा और उसके अधीन की गई थी और प्रत्यर्थी ऐसे भत्तों, कार, कर्मचारिवृंद और अन्य ऐसी कार्यपालक तथा वित्तीय शक्तियों का फायदा ले रहा है, जो पद से सहबद्ध हैं और उससे जुड़ी हैं और साथ ही, उनके द्वारा धारित पद को संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1)के उपखंड (क) के अधीन निरर्हता के निवारण के प्रयोजन के लिए संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा छूट नहीं दी गई है;

और निर्वाचन आयोग ने यह उल्लेख किया है कि प्रत्यर्थी को 16 जून, 2004 को, अर्थात् अप्रैल-मई, 2004 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन में संसद सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात्, मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और यह कि उन्हें 6 जुलाई, 2004 को मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत प्रदान की गई थी और वे मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत में उक्त पद को निरंतर धारण कर रहें हैं ;

और निर्वाचन आयोग ने निरर्हता के इस मामले का अवधारण करते समय, माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का संज्ञान किया है ;

और निर्वाचन आयोग ने यह उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश

संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का पद एक सदैव चलने वाला पद है, जिसका सृजन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रत्यर्थी की उस पर नियुक्ति से पूर्व किया गया था और उसे उत्तरवर्ती धारकों द्वारा उत्तरोत्तर धारण किया गया है, जैसा कि राज्य सरकार के 16 जून, 2004 के आदेश से स्पष्ट है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी को पूर्ववर्ती पदधारी के स्थान पर नियुक्त किया गया था और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) की प्रथम अपेक्षा इस बात से पूरी हो जाती है कि प्रत्यर्थी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे 'पद' के लिए नामनिर्देशित किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अर्थान्तर्गत आता है ;

और निर्वाचन आयोग ने इस तथ्य का और उल्लेख किया है कि प्रत्यर्थी को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से और उनके आदेश की तारीख 6-7-2004 के कार्यपालक आदेश सं. 3-39/2004/वन/1 द्वारा मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत प्रदान की गई है, जो निर्णायक रूप से यह भी दर्शित करता है कि मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का पद राज्य सरकार के अधीन एक पद है ;

और निर्वाचन आयोग ने यह और उल्लेख किया है कि प्रत्यर्थी उन परिलब्धियों और प्रसुविधाओं का हकदार था, जो राज्य सरकार द्वारा अपने तारीख 4 फरवरी, 2006 के परिपत्र में उल्लिखित की गई हैं और उससे मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत के साथ उसके द्वारा धारित पद 4 फरवरी, 2006 से सरकार के अधीन लाभ का पद बन गया था जो उनके स्वयं के कथन से पुष्ट हो गया है जिसमें यह कहा गया है कि "इस प्रकार यह दलील दी गई है कि तारीख 4-2-2006 के परिपत्र के अधीन प्रदान किया गया फायदा, यदि कोई है, प्रत्यर्थी को मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत दिए जाने के कारण है, न कि मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का पद धारण करने के कारण" ।

और निर्वाचन आयोग ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी केवल कतिपय प्रतिकरात्मक भत्तों का ही हकदार नहीं है, बल्कि तारीख 6 जुलाई, 2004 के राज्य सरकार के आदेश द्वारा मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत प्रदान करने वाले राज्य सरकार के तारीख 4 फरवरी, 2006 के आदेश के कारण 4000 रुपए प्रति मास के पारिश्रमिक और अन्य भत्तों का भी हकदार है और इस प्रकार संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के खंड (झ) में कतिपय पदों के धारक को संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क)के अधीन निरर्हता की परिधि से छूट देने के लिए वर्णित शर्त पूरी करता है ;

और पूर्वगामी तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग का पूर्ण रूप से यह समाधान हो गया है कि मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का पद, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तारीख 16 जून, 2004 के अपने आदेश द्वारा श्री कृष्ण मुरारी मोघे को नामनिर्दिष्ट किया गया है और मंत्री की हैसियत प्रदान की गई है, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अर्थान्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार के अधीन 'लाभ का पद' है और उक्त पद संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन निरर्हता से, संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के उपबंध के अधीन, छूट प्राप्त नहीं है ;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय (उपाबंध द्वारा) दी है कि श्री कृष्ण मुरारी मोघे, संसद सदस्य (लोक सभा), मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 जून, 2004 को उनके नामनिर्देशन पर और 6 जुलाई, 2004 को मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत प्रदान किए जाने पर, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन लोक सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ;

अतः, अब, मैं, आ. प. जै. अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चिय करता हूं कि श्री कृष्ण मुरारी मोघे, संसद सदस्य (लोक सभा), मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 जून, 2004 को उनके नामनिर्देशन पर और 6 जुलाई, 2004 को मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत प्रदान किए जाने पर, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन लोक सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।

10 जुलाई, 2007 .

भारत का राष्ट्रपति''

[फा. सं. एच. 11026(10)/2007-विधायी-II]

डॉ. संजय सिंह, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

**उपाबंध**

**भारत निर्वाचन आयोग**

**2006 का निर्देश मामला सं. 14**

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

**निर्देश :**

संविधान के अनुच्छेद 102(1) (क) के अधीन श्री कृष्ण मुरारी मोघे, संसद सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता ।

**राय**

भारत के राष्ट्रपति से, संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन, तारीख 29 मार्च, 2006 को एक निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या लोक सभा के तत्कालीन आसीन सदस्य श्री शिवराज सिंह चौहान और लोक सभा के आसीन सदस्य श्री कृष्ण मुरारी मोघे संविधान के अनुच्छेद 102(1) (क) के अधीन लोक सभा के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।

2. श्री चौहान और श्री मोघे की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न मध्य प्रदेश विधान सभा में विरोधी दल की नेता श्रीमति जमुना देवी द्वारा तारीख 26 मार्च, 2006 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत एक याचिका में उठाया गया था। श्री शिवराज सिंह चौहान के संबंध में तारीख 6-6-2006 को पहले ही राय दी जा चुकी है। वर्तमान राय श्री कृष्ण मुरारी मोघे की अभिकथित निरर्हता से संबंधित है ।

3. श्री कृष्ण मुरारी मोघे (प्रत्यर्थी) की बाबत अभिकथन यह है कि उन्हें मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह उस प्रास्थिति, पद, परिलब्धियों का उपयोग कर रहें है, जो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किसी मंत्रिमंडल सदस्य को दी गई, समझी गई प्रास्थिति के कारण राज्य में किसी मंत्रिमंडल सदस्य को उपलब्ध हैं। याची ने आगे कथन किया है कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा और उसके आदेश के अधीन की गई थी। प्रत्यर्थी उन भत्तों, कार, कर्मचारिवृन्द और अन्य कार्यपालक और वित्तीय शक्तियों के फायदे प्राप्त कर रहा है, जो पद से सहयोजित और संबंधित हैं। उन्होंने आगे कथन किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा धारित पद को, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन निरर्हता के निवारण के प्रयोजन के लिए संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा छूट नहीं दी गई है।

4. याचिका के साथ इस प्रतिरोध के समर्थन में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है कि वह पद, जिस पर प्रत्यर्थी को नियुक्त किया गया है, सरकार के अधीन कोई लाभ का पद है। याचिका में निर्दिष्ट पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख के बारे में कोई आधारिक सूचना भी नहीं है। किसी पद पर किसी सदस्य की नियुक्ति की तारीख यह अवधारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या यह मामला अनुच्छेद 103(1) के अर्थान्तर्गत विनिश्चय करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता के भीतर आता है। उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के क्रम में [देखिए निर्वाचन आयोग **बनाम** साका वेंकट राव (एआईआर 1953 एससी 201); वृन्दावन नायक **बनाम निर्वाचन आयोग** (एआईआर 1965 एससी 1892); निर्वाचन आयोग **बनाम** एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609)] यह सुनिश्चित हो गया है कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल उन प्रश्नों पर विचार कर सकता है, जो उन पदों से संबंधित हैं, जिन पर संसद् सदस्यों को उनके निर्वाचन के पश्चात् ऐसे सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है। अत: याची को, तारीख 5 अप्रैल, 2006 की आयोग की सूचना द्वारा तारीख 28 अप्रैल, 2006 तक इस बाबत विनिर्दिष्ट जानकारी देने के लिए कहा गया था।

5. तारीख 5-4-2006 की सूचना के उत्तर में, याची ने तारीख 25-4-2006 का एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्यर्थी राज्य सरकार द्वारा उसे दी गई मंत्रिमंडल सदस्य की समझी गई प्रास्थिति के कारण, मध्य प्रदेश राज्य में मंत्रिमंडल सदस्य को उपलब्ध प्रास्थिति, पद और परिलब्धियां प्राप्त करता है और वह निरर्हता निवारण करने के लिए अनुच्छेद 102(1) (क) के अधीन या संसदीय अधिनियम के अधीन संरक्षित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि तारीख 23-2-2006 को राज्य विधान सभा में दिए गए मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के उत्तर में इस तथ्य की ओर संकेत है कि श्री के.एम. मोघे को एक मंत्रिमंडल सदस्य की प्रास्थिति दी गई है उन्होंने मुख्य मंत्री के उपरोक्त कथित उत्तर और राज्य सरकार के तारीख 4 फरवरी, 2006 के पत्र की, जिसमें विभिन्न पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों/मंडलों/स्वशासी निकायों और अन्य समितियों, आदि के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संदेय परिलब्धियों के ब्यौरे हैं, एक-एक प्रति प्रस्तुत की है।

6. चूंकि याची द्वारा तारीख 25-4-2006 के पत्र में दी गई सूचना अभिकथित पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख की बाबत कोई स्पष्ट तथ्य प्रकट नहीं करती है इसलिए आयोग ने याची को प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख की बाबत विनिर्दिष्ट सूचना और उसके समर्थन में दस्तावेजों को तारीख 31-5-2006 तक पेश करने के लिए पुन: कहा है।

7. इसके उत्तर में, याची ने अपने तारीख 30-5-2006 के पत्र द्वारा राज्य सरकार के तारीख 6-7-2004 के आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि संसदीय दल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी मोघे को सरकार के उसी तारीख अर्थात् 6-7-2004 के पूर्ववर्ती समसंख्यक आदेश को अधिक्रान्त करते हुए मंत्रिमंडल सदस्य की प्रास्थिति प्रदत्त की है। तारीख 6-7-2006 का पुनरीक्षित आदेश इसके जारी करने की तारीख से प्रभावी था।

8. चूंकि याची केवल उस तारीख को ही प्रस्तुत कर सकी थी, जिसको प्रत्यर्थी को मंत्रिमंडल सदस्य की प्रास्थिति दी गई थी, इसलिए, आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से, अनुच्छेद 103(2) के अधीन आयोग को निर्दिष्ट अभिकथित निरर्हता संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपनी राय देने में समर्थ बनाने के लिए, संसदीय दल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के पद पर, प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख और प्रत्यर्थी द्वारा धारित पद के संबंधित प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को अभिप्राप्त करने का विनिश्चय किया। तदनुसार तारीख 6-7-2006 के पत्र के द्वारा आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से तारीख 14-6-2006 तक सुसंगत जानकारी देने का अनुरोध किया है।

9. मध्य प्रदेश सरकार ने अपने तारीख 14-7-2006 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि श्री के.एम. मोघे को, तारीख 16-6-2004 को, मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट किया गया था। राज्य सरकार ने अपने तारीख 6-7-2006 के आदेश की एक प्रति भी भेजी है, जिसमें यह कथन किया गया है कि "श्री कृष्ण मुरारी मोघे, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल" को मंत्री की प्रास्थिति प्रदत्त की गई है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि राज्य सरकार ने अपने उसी तारीख अर्थात् 6-7-2004 के पुनरीक्षित आदेश की प्रति नहीं भेजी, जिसके द्वारा तारीख 6-7-2004 के उपरोक्त पूर्ववर्ती आदेश को अधिक्रांत किया गया था और "श्री कृष्ण मुरारी मोघे, अध्यक्ष, संसदीय दल मध्य प्रदेश" को मंत्रिमंडल सदस्य की प्रास्थिति प्रदत्त की गई थी याची द्वारा तारीख 6-7-2004 के पुनरीक्षित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई थी, परंतु राज्य सरकार ने केवल उनको ज्ञात कारणों से उसे रोक लिया था। यह भी सूचित किया गया था कि मध्यप्रदेश सरकार ने संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में श्री मोघे के निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया था।

10. श्री के. एम. मोघे अप्रैल-मई, 2004 को लोक सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचनों में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और उन्हें तारीख 16-6-2004 को, मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था तारीख 6-7-2004 को मंत्रिमंडल सदस्य की प्रास्थिति प्रदान की गई थी। अत: यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी को उस पद पर, उनके संसद् सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् निर्देश के अधीन नियुक्त किया गया था।

11. आयोग का यह समाधान हो गया था कि पूर्वोक्त पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति निर्वाचन-पश्चात् नियुक्ति थी। इसलिए प्रत्यर्थी

से तारीख 11 सितम्बर, 2006 की सूचना द्वारा याचिका में अंतर्विष्ट अभिकथनों का जवाब 29 सितम्बर, 2006 तक फाइल करने के लिए कहा गया था । 22-9-2006 को, प्रत्यर्थी ने एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें इस आधार पर समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था कि उसे उचित उत्तर तैयार कराने के लिए मामले में काउंसेल को नियुक्त करना है और मध्य प्रदेश में उप चुनाव अक्तूबर, 2006 में होने की भी संभावना है । आयोग ने अनुरोध पर विचार किया और उन्हें उत्तर फाइल करने के लिए 27-10-2007 तक का समय अनुदत्त कर दिया । प्रत्यर्थी के काउंसेल ने 23-10-2006 को एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि उसे याची द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ दस्तावेजों और मध्य प्रदेश सरकार से आयोग को प्राप्त जानकारी दी जाए। विद्वान काउंसेल ने अपना पक्ष कथन प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय के लिए अनुरोध भी किया। आयोग ने प्रत्यर्थी के काउंसेल को राज्य सरकार के पत्र तारीख 14-7-2006 (इसके उपाबंधों सहित) की प्रति उपलब्ध करा दी और अपना उत्तर फाइल करने के लिए उसे 20-11-2006 तक का समय भी दे दिया । 20-11-2006 को, प्रत्यर्थी ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया । अपने उत्तर में, प्रत्यर्थी ने यह स्वीकार किया कि वह मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के पद 16-6-2006 से धारण किए हुए है। उसने आगे यह कथन किया कि उक्त प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के विवाद्यकों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के साथ सम्पर्क, समन्वय और उन पर कार्यवाई करने को सुकर बनाने तथा मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों के बीच समन्वय बनाने के लिए एक औपचारिक व्यवस्था है । प्रकोष्ठ न तो न्यायिक अस्तित्व है और न कानूनी निकाय तथा इस प्रकार, उक्त प्रकोष्ठ में पद धारण करना कोई पद धारण करने की कोटि में नहीं आता । उसने आगे यह कथन किया कि उक्त प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने से किसी प्रतिकारात्मक/अप्रतिकरात्मक भत्तों के लिए कोई हकदारी नहीं है । प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को मिलने वाली सुविधाएं केवल ये हैं-(i) एक चालक और एक कार्यालय चपरासी, (ii) कार्यालय में एक टेलीफोन, और (iii) केवल दिल्ली में अध्यक्ष के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए पूल से एक कार । प्रत्यर्थी ने आगे यह कथन किया है कि राज्य सरकार के तारीख 4-2-2004 के परिपत्र के अधीन अनुदत्त फायदा, यदि कोई हो, प्रत्यर्थी को प्रदान की गई मंत्रिमंडल पंक्ति की हैसियत के कारण है, न कि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का पद धारण करने के कारण ।

12. तत्पश्चात्, आयोग ने 12-1-2007 को मामले में सुनवाई के लिए नियत करने का विनिश्चय किया । एक या अन्य पक्षकार के अनुरोध पर कुछ स्थगनों के पश्चात्, अंत में सुनवाई 15-2-2007 को की गई थी । सुनवाई में, न तो याची और न उसकी ओर से कोई काउंसेल हाजिर हुआ । तथापि, उस दिन आयोग को याची का तारीख 14-2-2007 का एक पत्र प्राप्त हुआ था । उसमें याची ने यह कथन किया कि प्रत्यर्थी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया था कि वह 6-7-2004 से मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत प्राप्त कर रहा है और नई दिल्ली में अपने शासकीय कृत्यों के निर्वहन के लिए एक चालक/यान, कार्यालय सहायक, टेलीफोन, आदि की सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। उसने आगे यह कथन किया कि संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का पद निरर्हता से छूट प्राप्त नहीं था । यद्यपि वह कोई नया निकाय नहीं था और पूर्व में भी प्रकोष्ठ का कोई भी अध्यक्ष मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत का लाभ नहीं उठा रहा था । उसने आगे यह कथन किया कि मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत के बिना भी प्रत्यर्थी उक्त प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता था । प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व श्री यशोबंत दास, ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा, सुश्री अनुराधा मुखर्जी, अधिवक्ता और श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, अधिवक्ता के साथ किया गया था। प्रत्यर्थी व्यक्तिगत रूप से भी हाजिर हुआ था।

13. विद्वान ज्येष्ठ काउंसेल श्री दास ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी को मध्य प्रदेश संसदीय दल के अध्यक्ष के पद पर राज्य सरकार द्वारा 16-6-2004 को नामनिर्दिष्ट किया गया था और 6-7-2004 को प्रत्यर्थी को मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत प्रदान की गई थी। प्रत्यर्थी का कार्य मध्य प्रदेश राज्य से संसद् सदस्यों के बीच समन्वय करने का था और यह राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करने की कोटि में नहीं आता है। उन्होंने आगे राज्य सरकार का तारीख 4-2-2006 को परिपत्र प्रस्तुत किया, जो श्री मोघे के मामले में लागू नहीं होता था। क्योंकि वह ऐसा कोई पद धारण नहीं कर रहा था, जिसका कोई विधिक अस्तित्व हो या वह किसी कानूनी/गैरकानूनी निकाय का पद धारण नहीं कर रहा था। विद्वान काउंसेल ने आगे यह दलील दी कि प्रत्यर्थी उक्त पद धारण करने के कारण न तो कोई धनीय फायदे प्राप्त करने का हकदार था और न ही वह प्राप्त कर रहा था।

14. अनुकल्प में, विद्वान काउंसेल ने संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 (i) का अवलंब लेते हुए यह कथन किया कि प्रत्यर्थी प्रतिकरात्मक भत्ते के अतिरिक्त किसी भत्ते का न तो हकदार है और न वह ऐसा कोई फायदा प्राप्त कर रहा है। इसलिए, प्रत्यर्थी द्वारा धारित पद, अर्थात् मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का पद, निरर्हता से छूट प्राप्त है।

15. सुनवाई पूरा होने के पश्चात्, आयोग ने प्रत्यर्थी से अपनी लिखित दलीलों का सार एक सप्ताह के भीतर फाइल करने और उसकी एक प्रति याची को तामील करने को कहा।

16. प्रत्यर्थी ने 30-3-2007 को अपनी लिखित दलीलों का सार फाइल किया और उसके साथ तामील के सबूत के रूप में डाक रसीद की एक प्रति संलग्न की, जिसमें यह दर्शित किया गया था कि उसकी लिखित दलीलों की तामील याची को कर दी गई है। अपनी लिखित दलीलों में प्रत्यर्थी ने इस बात को दोहराया है कि संसदीय प्रकोष्ठ केवल समर्थ करने, समन्वय करने और जानकारी को प्रसारित करने वाला एक निकाय है, जिसके कृत्यों को, किन्हीं भी परिस्थितियों में, महत्वपूर्ण सरकारी कृत्य के रूप में नहीं माना जा सकता, बल्कि दूसरी ओर वे ऐसे कृत्य हैं, जो सरकार के दृष्टिकोण में मात्र वैकल्पिक हैं और इस प्रकार उक्त पद अनुच्छेद 102 (1) (क) के अधीन यथावर्णित सरकार के अधीन पद नहीं है। प्रत्यर्थी ने आगे यह कथन किया कि तारीख 24-3-2005 के राज्य सरकार के आदेश सं. एफ-16-6-2005/1/4 के द्वारा वह केवल एक चालक और कार्यालय चपरासी का हकदार है और उस आदेश में प्रत्यर्थी को ऐसा चालक/कार्यालय चपरासी न दिए जाने की दशा में कोई प्रतिकर दिए जाने का कोई उपबंध नहीं है और न ही वह प्रत्यर्थी को किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी ओर से रखने के लिए अनुज्ञात करता है या उसके

बदले प्रतिकर का दावा करने के लिए भी अनुज्ञात नहीं करता। प्रत्यर्थी ने आगे यह कथन किया है कि पूर्वोक्त आदेश के अधीन किसी भी प्रकार का, कोई भी भत्ता, संदेह नहीं है; इसके अतिरिक्त, उसमें प्रत्यर्थी को अध्यक्ष के रूप में अपने कृत्यों का अनुपालन करने लिए समर्थ बनाने हेतु सुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ही स्पष्ट रूप से उपबंध किया है। यहां यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि प्रत्यर्थी ने किसी भी प्रक्रम पर 14-3-2005 के उक्त आदेश को अभिलेख पर लाना नहीं चाहा। इसके विपरीत, राज्य सरकार ने तारीख 14-7-2006 के अपने पत्र में आयोग को यह सूचना दी कि सरकार द्वारा प्रत्यर्थी के निबंधनों और शर्तों को नियत करने वाला कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी ने आगे यह दलील दी कि आदेश सं. एफ 11-36/2003/आदेश/3, तारीख 4-2-2006 प्रत्यर्थी को लागू नहीं होता, क्योंकि पत्र के शब्दों से यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यह उसमें वर्णित निकायों को लागू होता है और चूंकि मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ एक औपचारिक समन्वयकारी निकाय है और उसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है तथा वह उक्त प्रवर्गों के अंतर्गत नहीं आता। प्रत्यर्थी ने आगे यह दलील दी कि उसे पूर्वोक्त आदेश में वर्णित कोई फायदे न तो दिए गए हैं और न उसके अधीन उनकी हकदारी के बारे में कोई इत्तला दी गई है। प्रत्यर्थी ने आगे यह दलील दी कि पूर्वोक्त आदेश 4-2-2006 को, अर्थात् प्रत्यर्थी की उक्त प्रकोष्ठ में नियुक्ति के पश्चात् और उसे मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत प्रदान करने के पश्चात्, प्रवर्तन में आया था और इसलिए उक्त आदेश को न तो प्रकाशित किया जाना था और न प्रत्यर्थी को उसकी इत्तला दी जानी थी, यदि उसे उसके अधीन किसी प्रतिकर का हकदार बनाया गया था और चूंकि प्रत्यर्थी को कोई इत्तला नहीं दी गई थी, तब यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी पूर्वोक्त आदेश के अधीन प्रतिकर का हकदार है।

17. चूंकि न तो याची और न ही उसकी ओर से कोई काउंसेल सुनवाई के दौरान हाजिर हुआ, इसलिए आयोग ने प्रत्यर्थी की लिखित दलीलों के सार पर याची की टिप्पणी, यदि कोई हो, अभिप्राप्त करने का विनिश्चय किया। अत:, याची से 15-4-2007 तक अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, करने के लिए कहा गया था। याची ने तारीख 13-4-2007 के अपने आवेदन द्वारा एक मास के समय के लिए इस आधार पर अनुरोध किया कि उसे आंख का ऑपरेशन कराना है और उसे आराम करने की सलाह दी गई है। आयोग ने उसके अनुरोध पर विचार किया और 10-5-2007 तक का समय प्रदान किया। याची ने 9-5-2007 को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। अपने उत्तर में याची ने इस बात को दोहराया कि मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में प्रत्यर्थी को मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत प्रदान की और उस कारण प्रत्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा मंत्री स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं, अर्थात् दिल्ली में स्थित मध्य प्रदेश के आवास आयुक्त द्वारा एक सरकारी यान (टाटा इंडिका डीएलक्यू/1419) और एक कार चालक, अनुभाग अधिकारी स्तर का एक अधिकारी, दो कंप्यूटर ऑपरेटर और एक निजी सहायक उपलब्ध कराए गए हैं। उसने आगे यह कथन किया है कि कार्यालय का व्यय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है। उसने आगे यह कथन किया कि मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में श्री मोघे के नाम में आबंटित सरकारी आवास में लगे दो टेलीफोनों का व्यय भी राज्य सरकार की निधियों से चुकाया जाता है। उसने आगे यह कथन किया कि प्रत्यर्थी को मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत उसके नाम में और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आदेश द्वारा दी गई है, जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अत: सरकार प्रकोष्ठ पर पूरा नियंत्रण रखती है।

18. आयोग ने मामले के सुसंगत तथ्यों, याचिका में दोनों पक्षकारों के प्रतिविरोधों, सुनवाई के समय प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ काउंसेल के लिखित कथन, प्रत्युत्तर और लिखित तथा मौखिक निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। निर्विवादित तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी को 16-6-2004 को अर्थात्, अप्रैल-मई, 2004 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन में संसद् सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन के पश्चात् मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और उसे उक्त पद के धारक के रूप में 6-7-2004 को मंत्रिमंडल सदस्य की प्रास्थिति प्रदान की गई थी और वह मंत्रिमंडल सदस्य की प्रास्थिति में उक्त पद धारित करता रहा है।

19. अवधारण के लिए आने वाला प्रश्न यह है कि क्या मध्य प्रदेश संसदीय दल के अध्यक्ष का पद, जिसे प्रत्यर्थी मंत्रिमंडल सदस्य की प्रास्थिति में धारित करता रहा है, संविधान के अनुच्छेद 102 (1)(क) के अर्थांतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के अधीन "लाभ का पद" है या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन निरर्हता से संबंधित उपबंधों को समाविष्ट करने में संविधान निर्माताओं का आधारभूत सिद्धांत और वास्तविक आशय विधान-मंडल को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखना है। यह वांछनीय समझा गया था कि विधान-मंडल के सदस्यों को पश्चात्वर्ती से प्रलोभन प्राप्त करके और उसके द्वारा जनता के प्रतिनिधियों के रूप में अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन में विचार और कार्य करने की अपनी स्वतंत्रता को खोकर कार्यकारी सरकार के प्रति स्वयं को आभारी महसूस नहीं करना चाहिए। यह उपबंध विधान-मंडल के सदस्यों को प्रलोभन देने के संबंध में कार्यकारी सरकारों पर रोक के रूप में भी कार्य करता है, जिससे कि पश्चात्वर्ती व्यक्तिगत हानि या अभिलाभ के किन्हीं प्रतिफलों से प्रभावमुक्त रूप में अपने निर्वाचक-मंडल के प्रति अपने कर्तव्यों को करने के लिए स्वतंत्र होगा। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 102(1)(क) के उपबंधों के पीछे उपरोक्त तर्क को स्पष्ट करते हुए, अशोक कुमार भट्टाचार्य बनाम अजय विश्वास (ए.आई.आर. 1985 एस. सी. 211) में निम्नलिखित संप्रेक्षण किया है:

> "वह विचारधारा, जो 'लाभ का पद' अभिव्यक्ति का निर्वचन करने के लिए हमारा ध्यान आकर्षित करती है यह है कि इसका निर्वचन मस्तिष्क में अनुच्छेद 102(1)(क) के अधिनियमन के उद्देश्य, अर्थात् विधान-मंडल के सदस्यों के बीच यह सुनिश्चित करते हुए कि विधान-मंडल में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, जो कार्यपालिका से फायदे प्राप्त करते हैं और इस प्रकार उसके प्रभाव के अधीन होते हैं, कर्तव्य और हित के बीच विवाद को समाप्त करने या किसी भी दशा में उसके जोखिम को कम करने वाली वास्तविकता के रूप में किया जाना चाहिए।"

20. पुनः, अनुच्छेद 191(1)(क) [जो अनुच्छेद 102(1)(क) का सदृश है] के उद्देश्य पर जोर देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने एम0 वी. राजशेखरन बनाम वटल नागराज (ए.आई. आर. 2002 एस. सी. 742) में निम्नलिखित संप्रेक्षण किया:

> "संविधान के अनुच्छेद 191 के अधीन निरर्हता का उपबंध करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि विधान सभा या विधान परिषद् के लिए निर्वाचित व्यक्ति को किसी प्रकार के सरकारी दबाव के अधीन हुए बिना निडर रूप से अपने कर्तव्य को करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। अतः, न्यायालय से यह पता लगाना अपेक्षित है कि क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वहन किए गए कर्तव्यों और सरकार के बीच कोई संबंध विद्यमान है या नहीं और यह कि क्या निर्वाचित होने पर, उन कर्तव्यों के साथ, जिनका वह विधान-मंडल के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए अपेक्षित है, अपने नियोजन के दौरान ऐसे कर्तव्यों के आंशिक निर्वहन के बीच कोई विवाद उत्पन्न होने के लिए बाध्य है। उपरोक्त प्रश्न की परीक्षा करते समय न्यायालय को सार पर विचार करना होगा न कि प्ररूप पर और, इसके अतिरिक्त यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न मामलों में अधिकथित सभी तथ्यों और परीक्षणों को एक साथ मिलाकर प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि सरकार के अधीन लाभ के किसी पद को धारण करने का गठन हो सके।"

21. 'लाभ का पद' अभिव्यक्ति को संविधान में या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परिभाषित नहीं किया गया है तथापि, आयोग को मामलों की ऐसे श्रृंखला में, जिनमें शीर्ष न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर इस प्रश्न पर विचार किया है, उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों को स्पष्ट करने का फायदा प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रश्न का विनिश्चय प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना होता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिकथित परीक्षण मूल रूप से इन प्रश्नों तक ही सीमित हो जाते हैं कि क्या व्यक्ति को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया गया है या नहीं और क्या ऐसा पद, धारक के लिए लाभ प्रदान करने वाला पद है या नहीं। मौलाना अब्दुल शकूर बनाम रिखाब चंद (ए. आई.आर. 1958 एस.सी. 52) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

> "किसी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त करने या उस पद पर उसे बनाए रखने या अपने विवेकानुसार उसकी नियुक्ति को प्रतिसंहृत करने की सरकार की शक्ति और सरकारी राजस्वों में से संदाय, यह अवधारित करने में महत्वपूर्ण बातें हैं कि क्या कोई व्यक्ति सरकार के अधीन किसी लाभ के पद को धारण कर रहा है या नहीं, यद्यपि, सरकार से भिन्न किसी स्रोत से संदाय सदैव निर्णायक तथ्य नहीं होता है।"

22. शिवमूर्ति स्वामी इनामदार बनाम अगाडी संगन्ना अंडनप्पा (ए.आई.आर. 1971 एस.सी.सी. 870) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा करने के लिए क्या कोई पद सरकार के अधीन लाभ का पद है या नहीं, निम्नलिखित परीक्षणों को संक्षेपित किया है:

(i) क्या नियुक्ति सरकार करती है;

(ii) क्या सरकार को पदधारक को हटाने या पदच्युत करने का अधिकार है;

(iii) क्या सरकार पारिश्रमिक का संदाय करती है;

(iv) धारक के क्या कृत्य हैं और क्या वह उनका पालन सरकार के लिए करता है; और

(v) क्या सरकार इन कृत्यों के अनुपालन पर किसी नियंत्रण का प्रयोग करती है।

23. उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न पश्चात्वर्ती मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि उपरोक्त सभी परीक्षणों की यह अवधारण करने के लिए कि क्या कोई पद सरकार के अधीन लाभ का पद है या नहीं एक साथ विद्यमान होने की आवश्यकता नहीं है। मधुकर जी. ई. पनकाकर बनाम जसवंत छबीलदास रजनी [(1977) एस. सी. सी. 70] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि इस प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए कि क्या कोई पद, सरकार के अधीन 'लाभ का पद' है या नहीं, परिस्थितियों पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए न कि प्ररूप पर और इसके अतिरिक्त, न्यायालय द्वारा कथित किए गए अनेक तथ्यों के, जो सरकार के अधीन किसी पद के धारण के लिए अवधारणीय हैं, एक साथ विद्यमान होने की आवश्यकता नहीं है।

24. राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए इसमें प्रत्यर्थी, श्री के. एम. मोघे की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए आयोग को मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित उपरोक्त परीक्षणों द्वारा मार्गदर्शित होना है, और उन्हें लागू करना है । उच्चतम न्यायालय द्वारा 'पद' शब्द को ऐसी हैसियत या स्थान के अर्थ में निर्वचित किया गया है, जिससे कतिपय, विशेष रूप से अधिक या कम सार्वजनिक प्रकृति के, कर्तव्य जुड़े हुए हैं। कांता कथूरिया बनाम मानक चंद सुराना (ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 694) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित परीक्षण यह था कि पद बना रहने वाला, स्थायी, सारवान हैसियत का होना चाहिए, जिसका अस्तित्व उस व्यक्ति से स्वतंत्र हो, जिसने इसे भरा हो, जो चलता रहा हो और उत्तरवर्ती धारकों द्वारा उत्तराधिकार में भरा गया था। रविंद्र कुमार नायक बनाम कलक्टर, मयूरभंज [(1999) 2 एस. सी. सी. 627] के मामले में भी इस सिद्धांत को मान्य ठहराया गया था। एम. वी. राजशेखरन बनाम वटल नागराज [(2002) 2 एस. सी. सी. 704] के मामले में विशेष रूप से गठित एक सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष के पद को भी निरर्हता के प्रयोजन के लिए 'पद' के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था। वर्तमान प्रत्यर्थी के मामले में, यह देखा गया है कि मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का पद, प्रत्यर्थी के अपने मामले के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुद्दों के संबंध में केंद्रीय सरकार के साथ पारस्परिक कार्यवाही, समन्वय और पालन करने तथा मध्य प्रदेश से संसद के सदस्यों के बीच समन्वय को सुकर बनाने की एक व्यवस्था है उक्त पद के कृत्यों में मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों के साथ संपर्क बनाना, संसद् में कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेज और सूचना तथा विचार-विमर्श/कार्यसूची के ब्यौरे उपलब्ध कराना

सम्मिलित है। पूर्वोक्त मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित उपरोक्त सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए यह और देखा गया है कि मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का पद एक ऐसा सतत पद है, जिसे प्रत्यर्थियों की उसमें नियुक्ति से पूर्व मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सृजित किया गया था और उत्तरवर्ती पदधारकों द्वारा उत्तराधिकार में भरा गया है, जैसा कि तारीख 16-6-2004 के सरकारी आदेश से प्रकट होता है, जिसके द्वारा पूर्व पदधारी श्री तंवर चंद गहलोत के स्थान पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) की पहली अपेक्षा इस बात से पूर्ण होती है कि प्रत्यर्थी को अनुच्छेद 102(1)(क) के अर्थ के भीतर किसी 'पद' के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है।

25. जांच किए जाने वाला अगला आवश्यक तत्व यह है कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा पद "मध्य प्रदेश सरकार के अधीन पद" है। यह विवाद नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के पद के लिए प्रत्यर्थी का नाम-निर्देशन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है; यह तारीख 16-6-2004 के नियुक्ति आदेश सं. एफ. 19-194/2003/1/04 से प्रकट होता है, जिसे मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है और जो सहज रूप से यह दर्शित करता है कि नाम-निर्देशन मध्य प्रदेश सरकार के आदेश से किया गया है। प्रत्यर्थी ने कहीं भी यह तर्क नहीं दिया है कि एक बार नियुक्त होने पर उसे सरकार द्वारा पद से हटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार सरकार को उसे पद से हटाने की शक्ति है। यह भी विवाद नहीं है कि उस पद के रख-रखाव संबंधी सभी व्यय राज्य सरकार द्वारा अपनी निधियों में से वहन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि प्रत्यर्थी को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से और उनके आदेश से तारीख 6-7-2004 के कार्यपालक आदेश सं. 3-39/2004/वन/1 द्वारा मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत प्रदान की गई है, भी निर्णायक रूप से यह दर्शित करता है कि मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का पद राज्य सरकार के अधीन एक पद है यह और तथ्य कि प्रत्यर्थी को मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत और संलग्न फायदों और प्रसुविधाओं के साथ मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के पद के लिए नामांकित किया गया था, भी यह स्पष्ट निष्कर्ष प्रदान करता है कि प्रकोष्ठ और उसके अध्यक्ष के पास सरकार के लिए निष्पादित किए जाने के लिए कतिपय कर्तव्य और पूरा किए जाने के लिए काय हैं। कोई भी सरकार बिना किसी महत्वपूर्ण कारण या उद्देश्य के ऐसी उच्च हैसियत और व्यय के साथ कोई प्रकोष्ठ गठित नहीं करेगी और न ही उसमें नियुक्तियां करेगी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित करने के लिए कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा धारित पद 'सरकार के अधीन एक पद है', अधिकथित परीक्षा का वर्तमान मामले में पूर्णतः समाधान होता है।

26. इस मामले में जिस एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे का ध्यान रखा जाना है वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी, उसके प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने के कारण "लाभ का पद" धारण कर रहा है। याची ने अपनी याचिका में यह कथन किया था कि प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दी गई मंत्रिमंडल सदस्य की सम हैसियत के कारण राज्य में मंत्रिमंडल सदस्य को उपलब्ध हैसियत, स्थिति, परिलब्धियों का फायदा उठा रहा है। उसने यह और कथन किया था कि प्रत्यर्थी ऐसे भत्तों, कार, कर्मचारिवृंद और अन्य ऐसी कार्यपालक तथा वित्तीय शक्तियों का फायदा ले रहा है जो पद से सहबद्ध हैं और उससे जुड़ी हैं। आयोग की तारीख 11-5-2006 की सूचना के उत्तर में उसके द्वारा तारीख 30-5-2006 को प्रस्तुत अतिरिक्त सूचना के माध्यम से उसने राज्य सरकार के तारीख 4 फरवरी, 2006 के पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की है जिसमें विभिन्न पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों/प्रभागों/स्वायत्त निकायों और अन्य निकायों द्वारा समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संदेय पारिश्रमिक और उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य प्रसुविधाओं के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। पत्र की प्रति शब्दशः नीचे उद्धृत की जा रही है—

**"मध्य प्रदेश शासन**

**वित्त विभाग**

**वल्लभ भवन—मंत्रालय—भोपाल**

क्रमांक एफ 11-36/2003/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्य प्रदेश।

**विषय**—राज्य के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मण्डलों/स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/सदस्यों को देय वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं।

**संदर्भ**—वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 1968/1968/2001/सी/चार, दिनांक 16 अक्तूबर 2001।

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 16 अक्तूबर, 2001 को निरस्त करते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मण्डलों/स्वायत्त संस्थाओं के अशासकीय पदाधिकारियों को संलग्न परिशिष्ट के अनुसार वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जावें। यह वेतन भत्ते एवं सुविधाएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन देय होगी :-

(1) यदि किसी सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मण्डल, स्वायत्त संस्था, के अध्यक्ष//उपाध्यक्ष/सदस्य को इस हेतु लागू अधिनियम के अन्तर्गत कोई सुविधाएं देय हैं तो उन्हें उस अधिनियम के अनुसार सुविधाओं की पात्रता होगी।

(2) यदि किसी सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मण्डल, स्वायत्त संस्था, आयोग के पदाधिकारी विधायक है, तो उन्हें देय वेतन की राशि में से विधायक के रूप में प्राप्त वेतन अथवा पेंशन के रूप में प्राप्त राशि का समायोजन किया जाए, किन्तु कंडिका— (1) की इस प्रावधान पर वरीयता होगी।

(3) दूरभाष व्यय सीमा के अन्तर्गत राशि में रुपये 750 प्रतिमाह

तक का व्यय मोबाईल फोन पर अनुमत होगा, परन्तु शर्त यह होगी कि इन पदाधिकारियों को दूरभाष व्यय की जो अधिकतम सीमा निर्धारित है वह मोबाईल फोन पर हुए व्यय को मिलाकर रहेगी मोबाईल उपकरण का क्रय पदाधिकारियों को स्वयं करना होगा ।

(4) सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मण्डल, स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों को ही उपर्युक्त सुविधाओं की पात्रता होगी इन संस्थाओं के सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए रेल के वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी से यात्रा की सुविधा तथा बैठक हेतु रुपये 1000-मानदेय देय होगा ।

(5) यदि किन्हीं अन्य समिति संस्था आदि में नियुक्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है, तो उन्हें अध्यक्ष को देय सुविधाओं की ओर यदि राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है, तो उन्हें उपाध्यक्ष को देय सुविधाओं की पात्रता होगी । यदि कोई महानुभाव किसी भी निगम मण्डल समिति इत्यादि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य नियुक्त नहीं है तब भी उन्हें मंत्री/केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है, तो उन्हें अध्यक्ष को देय वेतन भत्ते एवं सुविधाओं की तथा यदि ऐसे महानुभाव को राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है, तो उन्हें उपाध्यक्ष को देय वेतन भत्ते एवं सुविधाओं की पात्रता होगी ।

(6) सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मण्डल, स्वायत्त संस्था के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों सर्किट हाऊस/रेस्ट हाऊस में निवास हेतु आरक्षण के संदर्भ में मंत्री/राज्यमंत्री के समान सुविधाओं की पात्रतो होगी, भले ही मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा नहीं दिया गया हो । विधायक न होने की स्थिति में भी इन अध्यक्षों/उपाध्यक्षों को सर्किट हाऊस रेस्ट हाऊस में निवास हेतु आरक्षण हेतु उपर्युक्तानुसार सुविधा की पात्रता होगी ।

(7) मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त पदाधिकारियों को "गार्ड ऑफ ऑनर" की व्यवस्था लागू नहीं होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
ह.
(ए. पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

सार्वजनिक उपक्रम निगम मंडल स्वायत्त संस्था के अशासकीय पदाधिकारियों को देय वेतन भत्ते एवं सुविधाएं :-

| क्रमांक | देय सुविधा का प्रकार | अध्यक्ष | उपाध्यक्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | वेतन | रुपये 4000 मासिक | रुपये 3000 मासिक |
| 2 | सत्कार भत्ता | रुपये 5000 मासिक | रुपये 3000 मासिक |
| 3 | यात्रा, दैनिक भत्ते | रुपये 80 राज्य के भीतर<br>रुपये 120 राज्य के बाहर | रुपये 80 राज्य के भीतर<br>रुपये 120 राज्य के बाहर |
| 4 | वाहन | 1 | 1 |
| 5 | वाहन चालक | 1 | 1 |
| 6 | पेट्रोल सीमा | 120 लीटर प्रति माह | 120 लीटर प्रति माह |
| 7 | यात्रा सुविधा | वायुयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी | वायुयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी |
| 8 | चिकित्सा सुविधा | विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप | विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप |
| 9 | निजी स्टाफ | निजी सचिव-एक<br>निजी सहायक-एक<br>भृत्य-दो | निजी सहायक-एक<br>भृत्य-दो |
| 10 | दूरभाष | कार्यालय-एक<br>निवास-एक | कार्यालय-एक<br>निवास एक |
| 11 | दूरभाष व्यय सीमा | रुपए 30,000 प्रति वर्ष प्रति दूरभाष, (किराया छोड़कर) | रुपए 30,000 प्रति वर्ष (किराया छोड़कर) |
| 12 | किराए के आवास की सुविधा | रुपए 8150 आवास किराया प्रति माह | रुपए 6750 आवास किराया प्रति माह |

ह.
(बाबूलाल जैसवार)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग"

27. प्रत्यर्थी ने, अपने लिखित तर्कों में यह दलील दी है कि आदेश सं. एफ.11-36/2003/आदेश/3 तारीख 4-2-2006 उसे लागू नहीं होता है क्योंकि आदेश के शब्दों से यह स्पष्ट है कि आदेश उसमें उल्लिखित निकायों को लागू होता है और चूंकि मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ एक ऐसा औपचारिक समन्वयक निकाय है, जिसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है, इसलिए यह उक्त उल्लिखित निकायों के अंतर्गत नहीं आता है । प्रत्यर्थी ने यह और दलील दी है कि उसे न तो पूर्वोक्त आदेश में उल्लिखित कोई फायदे प्रदान किए गए हैं और न ही उसे तद्धीन उसकी हकदारियों की संसूचना दी है । इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी ने यह और कथन किया है कि पूर्वोक्त आदेश 4-2-2006 को प्रवृत्त किया गया है, अर्थात् उक्त प्रकोष्ठ में उसकी नियुक्ति के और उसे मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत प्रदत्त किए जाने के पश्चात् और इसलिए यदि प्रत्यर्थी को उक्त आदेश के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार बनाया गया था तो उस आदेश को या तो प्रकाशित किया जाना चाहिए था अथवा प्रत्यर्थी को संसूचित किया जाना चाहिए था और चूंकि प्रत्यर्थी को कोई संसूचना नहीं दी गई थी इसलिए यह कथन नहीं किया जा सकता है कि प्रत्यर्थी पूर्वोक्त आदेश के अधीन किसी पारिश्रमिक या प्रसुविधाओं का हकदार है । प्रत्यर्थी की इन दलीलों के उत्तर में, याची ने यह कथन किया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत प्रदान की है और इस कारण से प्रत्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा मंत्री स्तर की सभी सुविधाएं, प्रदान की गई हैं अर्थात् दिल्ली में स्थित मध्य प्रदेश रेजिडेंट आयुक्त द्वारा एक सरकारी यान (टाटा इंडिका डीएलक्यू/1419), स्टाफ कार चालक, अनुभाग अधिकारी स्तर का एक अधिकारी, दो कंप्यूटर प्रचालक और निजी सहायक प्रदान किए गए हैं ।

28. राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी तारीख 4-2-2006 (जिसे ऊपर पुन: उद्धृत किया गया है) के परिपत्र की मद सं. 5 से यह देखा जा सकता है कि यदि किसी समिति/संगठन, आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य को मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत प्रदान की जाती है तो वह भी उसी पारिश्रमिक और उन्हीं सुविधाओं का हकदार होगा जो उक्त परिपत्र के उपाबंध में उल्लिखित कानूनी निकायों, आदि के अध्यक्ष को उपलब्ध कराई गई हैं । इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त मद सं. 5 के अधीन ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे मंत्रिमंडल सदस्य की हैसियत प्रदान की गई है, यदि उसे किसी निगम/प्रभाग/समिति, आदि का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य नियुक्त नहीं किया जाता है तो भी वह उसी वेतन, भत्तों और प्रसुविधाओं का हकदार होगा जो तारीख 4-2-2006 के परिपत्र के उक्त उपबंध में यथादर्शित निगमों आदि के अध्यक्ष को लागू हैं । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान काउंसिल का यह तर्क कि प्रत्यर्थी की दशा में आदेश लागू नहीं है कोई गुण नहीं रखता है और इसलिए स्वीकार्य नहीं है ।

29. यह भी विश्वास से परे है कि प्रत्यर्थी को राज्य सरकार के तारीख 4-2-2006 के उस परिपत्र के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें मंत्रिमंडल सदस्य की प्रास्थिति प्रदत्त की गई है, दिए जाने वाले पारिश्रमिक और प्रसुविधाएं अधिकथित की गई हैं । यदि ऐसा था तो वह मध्य प्रदेश के रेजिडेंट आयुक्त द्वारा उसे उपलब्ध कराई गई कार (टाटा इंडिका) का कैसे फायदा उठा रहा था । जबकि उसने दावा किया है कि सरकार के तारीख 24-3-2005 के आदेश के अनुसार (जिसे उसने अभिलेख पर लाने का चयन नहीं किया है) उसे केवल एक चालक और एक चपरासी की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी । उसका कार्य मध्य प्रदेश के सभी संसद् सदस्यों को केन्द्रीय सरकार के साथ अच्छा संपर्क बनाए रखने के लिए राज्य की गतिविधियों के बारे में सूचित करना था और कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि उसको राज्य सरकार के किसी ऐसे विनिश्चय की जानकारी नहीं थी, जो उसको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता हो ।

30. उसकी इस दलील के संबंध में कि उसने राज्य सरकार के तारीख 4-2-2006 के उक्त परिपत्र के अधीन कोई परिलब्धियां नहीं ली हैं और किसी फायदे का लाभ नहीं उठाया है, **श्रीमती जया बच्चन बनाम भारत संघ (एआईआर 2006 एससी 2119)** के मामले में उच्चतम न्यायालय का निम्नलिखित संप्रेक्षण निर्णायक रूप से उसका उत्तर देता है :

> "यह सुस्थापित है कि जहां किसी पद की कतिपय परिलब्धियां हैं या नियुक्ति का आदेश यह कथन करता है कि नियुक्त व्यक्ति कतिपय परिलब्धियों का हकदार है, वहां वह लाभ का पद होगा, भले ही पद के धारक ने ऐसी परिलब्धियों को प्राप्त करने/आहरण करने का चयन नहीं किया हो। जो सुसंगत है वह यह है कि क्या धनीय लाभ, पद के संबंध में "प्राप्य है" और यह नहीं कि धनीय लाभ वास्तव में प्राप्त नहीं किया गया है या नगन्य रूप से प्राप्त किया गया हो। अत:, इस मामले में चाहे फायदा प्राप्त किया गया हो या नहीं, यह सारवान नहीं है।"

31. अत: यह पूर्ण रूप से स्थापित है कि प्रत्यर्थी राज्य सरकार द्वारा उसके तारीख 4-2-2006 के परिपत्र में यथा प्रगणित परिलब्धियों और सुविधाओं का हकदार था और यह बात उसके द्वारा धारित मंत्रिमंडल सदस्य की प्रास्थिति के पद को, कम से कम तारीख 4-2-2006 से सरकार के अधीन लाभ का पद बनाती है। इस संदर्भ में उसके लिखित कथन के पैरा 8 में उसकी स्वयं की इस स्वीकृति का उल्लेख करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि "इस प्रकार यह निवेदन किया जाता है कि तारीख 4-2-2006 के परिपत्र के अधीन प्रत्यर्थी को दिया गया कोई फायदा, यदि कोई हो, उसे प्रदत्त मंत्रिमंडल सदस्य की प्रास्थिति के कारण दिया गया है, न कि मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का पद धारण करने के कारण"। वह अपने लिखित कथन में यह स्वीकृति करते समय सुविधानुसार यह भूल गया कि मंत्रिमण्डल सदस्य की प्रास्थिति, उसको उक्त प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में उसकी नियुक्ति के कारण प्रदान की गई थी।

32. अंतिम पेचिदा मुद्दा यह है कि प्रत्यर्थी द्वारा धारित पद को अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् ने विधि द्वारा छूट प्रदान की है या नहीं। प्रत्यर्थी की ओर से यह दलील दी गई थी कि यद्यपि उक्त प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का पद सरकार के अधीन 'लाभ का पद' है, तथापि, उसका धारक निरर्हित नहीं है, क्योंकि उस पद के संबंध में निरर्हता, संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3(झ) के उपबंधों द्वारा हटा दी गई है। संदर्भ की सुविधा के लिए 1959 के अधिनियम की धारा 3 का सुसंगत खंड (झ) नीचे उद्धृत है :—

> "3. कतिपय लाभ के पद निरर्हित न करेंगे :—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद, उसके धारक को संसद्-सदस्य चुनने जाने या संसद्-सदस्य होने या रहने के लिए वहां तक निरर्हित न करेगा। जहां तक कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद है, अर्थात् :—
>
> (झ) किसी ऐसे निकाय से, जो खंड (ज) में निर्दिष्ट है, भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है, किन्तु इसमें (i) अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष का पद, और (ii) अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या सचिव का पद, सम्मिलित नहीं हैं;"

33. उपर्युक्त धारा में निर्दिष्ट 'प्रतिकरात्मक भत्ता' पद उक्त अधिनियम की धारा 2(क) में निम्नानुसार परिभाषित है :

> "2(क) 'प्रतिकरात्मक भत्ता' से, धन की वह राशि अभिप्रेत है, जो किसी पद के धारक को, उस पद के कृत्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए उसे समर्थन बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते, जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा, जिसके लिए कोई संसद् -सदस्य संसद्-सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) के अधीन हकदार है, किसी प्रवहण भत्ते, गृह भाटक भत्ते या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय है;"

34. धारा 3(झ) और धारा 2(क) के उपरोक्त उपबंधों के

संयुक्त: पठन से यह स्पष्ट होता है कि ऊपर वर्णित खंड(झ) निरर्हता के विरुद्ध संरक्षण दिए जाने वाले किसी 'पद' के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए :

पदधारी 'प्रतिकरात्मक भत्ते' से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होना चाहिए।

35. आयोग ने पहले ही ऊपर यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी केवल कतिपय प्रतिकरात्मक भत्तों का ही हकदार नहीं है बल्कि इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के तारीख 4-2-2006 के आदेश के कारण राज्य सरकार द्वारा तारीख 6-7-2004 के आदेश द्वारा मंत्रिमण्डल सदस्य की प्रास्थिति प्रदान किए जाने के कारण प्रति मास 4000 रुपए पारिश्रमिक और अन्य भत्तों का भी हकदार है। इस प्रकार, अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन निरर्हता की परिधि से कतिपय पदों के धारकों को छूट देने के लिए 1959 के अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (झ) में वर्णित विशेष शर्त वर्तमान मामले में पूरी नहीं होती है । अत: विद्वान ज्येष्ठ कांउसेल की यह दलील कि प्रत्यर्थी द्वारा धारित पद निरर्हता से छूट के लिए 1959 के अधिनियम की धारा 3 (झ) के उपबंधों के अंतर्गत आता है, आयोग को स्वीकार्य नहीं है।

36. पूर्वगामी बातों को ध्यान में रखते हुए, आयोग का पूर्ण रूप से यह समाधान हो गया है कि मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का पद, जिसके लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उसके 16 जून, 2004 के आदेश द्वारा श्री के. एम. मोधे को नामनिर्देशित किया गया है और मंत्री की प्रास्थिति प्रदान की गई है, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अर्थातर्गत, 'मध्य प्रदेश सरकार के अधीन लाभ का पद' है। इसके अतिरिक्त, आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का उक्त पद, संविधान के उक्त अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन निरर्हता से संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के उपबंधों के अधीन छूट प्राप्त नहीं है।

37. प्रत्यर्थी ने बहुत ही कमजोर तरीके से यह भी दलील दी है कि मंत्रिमण्डल सदस्य की प्रास्थिति रखते हुए वह अनुच्छेद 102(1)(क) के स्पष्टीकरण के कारण अनुच्छेद 102(1) के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त है, जिसके कारण संघ या राज्यों के मंत्रियों को निरर्हता की परिधि से बाहर रखा गया है। दलील में और भी दम नहीं है, क्योंकि उक्त स्पष्टीकरण के अधीन प्रदत्त की गई छूट केवल मंत्रियों के लिए है, न कि मंत्री की प्रास्थिति दिए गए व्यक्ति के लिए।

38. उपर्युक्त संवैधानिक, विधिक और वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग की यह सुविचारित राय है कि श्री कृष्ण मुरारी मोघे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तारीख 16-6-2004 को उनको मध्य प्रदेश संसदीय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित किए जाने पर और तारीख 6-7-2004 को मंत्रिमण्डल सदस्य की प्रास्थिति प्रदान किए जाने के कारण संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं।

39. तद्नुसार राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को आयोग की उपर्युक्त आशय की राय के साथ वापस किया जाता है।

(एस. वाय. कुरेशी)
निर्वाचन आयुक्त

(एन. गोपालास्वामी)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

(नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22 जून, 2007

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

**(Legislative Department)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2007

**S.O. 1125(E).**—The following Order made by the President is published for general information:—

**"ORDER**

Whereas a petition dated the 26th March, 2006 raising the question of alleged disqualification of Shri Krishan Murari Moghe and Shri Shivraj Singh Chauhan, Members of Parliament (Lok Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Smt. Jamuna Devi, Leader of the Opposition, Madhya Pradesh Vidhan Sabha;

And, whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 29th March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Shivraj Singh Chauhan and Shri Krishan Murari Moghe, Members of Parliament (Lok Sabha) had become subject to disqualification for being Members of Parliament under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And, whereas the Election Commission has already tendered its opinion on the question of alleged disqualification in respect of Shri Shivraj Singh Chauhan on the 6th June, 2006;

And, whereas the Election Commission has now tendered its opinion on the question of alleged disqualification of Shri Krishan Murari Moghe, who was elected as a Member of Lok Sabha at the General Election held in April-May, 2004;

And, whereas the allegation with regard to Shri Krishan Murari Moghe (Respondent) is that he has been appointed as the Chairman of the Madhya Pradesh Sansadiya Prakoshtha (Madhya Pradesh Parliamentary Cell) and he is enjoying the status, position, perks which are available to a Cabinet Minister in the State, by virtue of his deemed status of a Cabinet Minister given by the State of Madhya Pradesh;

And, whereas the petitioner has further stated that the respondent's appointment was made by and under the Order of the State Government and the respondent is getting benefits of allowances, car, staff and other executive and financial powers which are associated with and connected to the post and also the office being held by him has not been exempted by any law made by the Parliament for the purpose of prevention of disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And, whereas the Election Commission has noted that respondent was appointed as the Chairman of the Madhya Pradesh Sansadiya Prakoshtha (Madhya Pradesh Parliamentary Cell) on the 16th June, 204, i.e. after this election as a Member of Parliament at the general election to the House of People held in April-May, 2004, and that he was conferred the status of Cabinet Minister on the 6th July, 2004 and he is continuing to hold the said office in the status of Cabinet Minister;

And, whereas the Election Commission has taken cognizance of the various decisions of the Hon'ble Supreme Court while determining the instant case of disqualification;

And, whereas the Election Commission has noted that the office of the Chairman of the Madhya Pradesh Sansadiya Prakoshtha is a continuing office which had been created by the State of Madhya Pradesh before the Respondent's appointment thereto and has been filled in succession by successive holders, as is evident from the Government order dated 16th June, 2004 whereby the respondent was appointed to replace the previous incumbent and thus, the first requirement of sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution is met in that the respondent has been nominated by the Government of Madhya Pradesh to an 'office' within the meaning of sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution.

And, whereas the Election Commission has further noted the fact that the respondent has been conferred the status of Cabinet Minister vide an executive Order No.3-39/2004/one/1 dated the 6th July, 2004 in the name of and by Order of the Governor of Madhya Pradesh also conclusively shows that the office of the Chariman of the Madhya Pradesh Parliamentary Cell is an office under the State Government;

And, whereas the Election Commission has further noted that the respondent was entitled to emouluments and facilities as enumerated by the State Government in its circular dated the 4th February, 2006 and that made the office held by him with the status of Cabinet Minister as an Office of Profit under the Government, at least from the 4th February, 2006, which has been confirmed with his own statement that states as "it is thus submitted that benefit, if any, granted under the circular dated 4-2-2006 is by reason of the status of cabinet rank being granted to the respondent and not by the reason of occupation of the Chairman of the Madhya Pradesh Parliamentary Cell".

And, whereas the Election Commission has held that the respondent is not only entitled to certain compensatory allowances but also to remuneration of Rs. 4000 per month and other perks in addition by virtue of order dated the 4th February, 2006, of the State Government for having been conferred with the Status of the Cabinet Minister by the State Government Order dated the 6th July, 2004 and thus fulfills the very condition mentioned in clause (i) of section 3 of Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 for exempting the holder of certain offices from the purview of disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And, whereas in view of the foregoing the Election Commission is fully satisfied that office of Chairman of the Madhya Pradesh Parliamentary Cell to which Shri Krishan Mruari Moghe has been nominated by the State Government of Madhya pradesh by its order dated the 16th June, 2004 and conferred the status of Minister, is an 'office of profit' under the Government of Madhya Pradesh within the meaning of sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution and the said office is not exempted, under the provision of section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, from disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And, whereas the Election Commission has rendered its opinion (vide Annex) that Shri Krishan Murari Moghe, Member of Parliament (Lok Sabha) became disqualified under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution for being a member of the Lok Sabha on his nomination by the Government of Madhya Pradesh as Chairman of the Madhya Pradesh Parliamentary Cell on the 16th June, 2004 and on being conferred the status of Cabinet Minister on the 6th July, 2004;

Now, therefore, I.A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution do hereby decide that Shri Krishan Murari Moghe, Member of Parliament (Lok Sabha) became disqualified under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution for being a member of the Lok Sabha on his nomination by the Government of Madhya Pradesh as Chairman of the Madhya Pradesh Parliamentary Cell on the 16th June, 2004 and on being conferred the status of Cabinet Minister on the 6th July, 2004.

JULY 10 2007. PRESIDENT OF INDIA"

[F. No.H-11026(10)/2007-Leg. II]

Dr. SANJAY SINGH,
Jt. Secy. & Legislative Counsel

## ANNEXURE

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

**Reference Case No. 14 of 2006**

[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

**In re :**

Alleged disqualification of Shri Krishan Murari Moghe, Member of Parliament (Lok Sabha), under Article 102 (1) (a) of the Constitution

## OPINION

A reference dated 29th March, 2006 was received from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri Shivraj Singh Chauhan, a then sitting member of the Lok Sabha, and Shri Krishan Murari Moghe, a sitting member of the Lok Sabha, had become subject to disqualification for being Members of Lok Sabha, under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The question of alleged disqualification of Shri Chauhan and Shri Moghe, was raised in a petition dated 26th March, 2006, submitted to the President by Smt. Jamuna Devi, Leader of the Opposition, Madhya Pradesh Vidhan Sabha. The opinion in respect of Shri Shivraj Singh Chauhan has already been tendered on 6-6-2006. The present opinion relates to the question of alleged disqualification of Shri Krishan Murari Moghe.

3. The allegation with regard to Shri Krishan Murari Moghe (respondent) is that he has been appointed as the Chairman of the Madhya Pradesh Sansadiya Prakoshtha (Madhya Pradesh Parliamentary Cell) and he is enjoying the status, position, perks which are available to a Cabinet Minister in the State, by virtue of his deemed status of a Cabinet Minister given by the State of Madhya Pradesh. The petitioner further stated that the respondent's appointment was made by and under the Order of the State Government. The respondent is getting benefits of allowances, car, staff and other executive and financial powers which are associated with and connected to the post. She further stated the office being held by the respondent has not been exempted by any law made by the Parliament for the purpose of prevention of disqualification under Article 102(1) (a) of the Constitution.

4. The petition was not accompanied by any document to support the contention that the office to which the respondent had been appointed was an office of profit under the Government. The petitioner did not even contain the basic information about the date of appointment of the respondent to the office referred to in the petition. The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 103 (1). It is well settled by catena of decisions of the Supreme Court (See Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201); Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N.G. Ranga (AIR 1978 SC 1609] that under Article 103 of the Constitution, the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members. The petitioner was, therefore, asked to furnish, by 28th April, 2006, specific information in that regard, vide the Commission's Notice dated 5th April, 2006.

5. In reply to the notice dated 5-4-06, the petitioner submitted a letter dated 25-4-06, reiterating that the respondent enjoys the status, positions and perks that are available to a Cabinet Minister in the State of Madhya Pradesh by virtue of his deemed status of a Cabinet Minister given to him by the State Government and is not protected under the umbrella of Article 102(1) (a) or under the Parliamentary Act to prevent disqualification. She also submitted that the reply of the Chief Minister of Madhya Pradesh given in the State Legislative Assembly on 23-2-2006 is indicative of the fact that Shri K. M. Moghe has been conferred the status of a Cabinet Minister. She submitted a copy each of the above stated reply of the Chief Minister and letter dated 4th Feb., 2006 of the State Government containing the details' of remuneration payable to the Chairman and Vice Chairman of various Public Sector Undertakings/Corporations/Divisions/Autonomous bodies and other Committees, etc.

6. As the information furnished by the petitioner *vide* letter dated 25-4-2006 did not reveal any clear picture about the date of appointment of the respondent to the alleged office, the Commission again asked the petitioner *vide* Notice dated 11-5-2006 to furnish the specific information with regard to the date of appointment of the respondent and the documents in support thereof, by 31-5-2006.

7. In response to this, the petitioner *vide* her letter dated 30-5-2006 furnished a copy of Order dated 6-7-2004 of the State Government, wherein it is mentioned that Shri Krishna Murari Moghe, Chairman, Sansadiya Dal Madhya Pradesh has been conferred the status of Cabinet Minister in supersession of the Government's earlier Order of even No. of the same date i.e. 6-7-2004. The revised Order dated 6-7-2004 was effective from its date of issue.

8. As the petitioner could furnish only the date on which the respondent was conferred the status of the Cabinet Minister, the Commission decided to obtain the date of appointment of the respondent to the office of the Chairman, Sansadiya Dal Madhya Pradesh and the facilities provided by the concerned authority to the post held by the respondent, from the Government of Madhya Pradesh, to be able to give its opinion to the President on the question of alleged disqualification referred to the Commission under Article 103(2). Accordingly, vide letter dated 6-7-2006, the Commission requested the Government of Madhya Pradesh to furnish the relevant information by 14-7-2006.

9. The Government of Madhya Pradesh informed vide their letter dated 14-7-2006 that Shri K.M. Moghe was nominated as the Chairman, Madhya Pradesh Sansadiya Prakoshtha on 16-6-2004. The State Government also sent a copy of its Order dated 6-7-2004 in which it was stated that "Shri Krishna Murari Moghe, Adhyaksha, Bhartiya Janta Party Sansadiya Dal" has been conferred the status of a Minister. Curiously enough, the State Government did not send a copy of the revised Order of the same date i.e. 6-7-2004, whereby the above referred earlier Order dated 6-7-2004 was superseded and 'Shri Krishna Murari Moghe, Adhyaksha, Sansadiya Dal Madhya Pradesh was conferred the status of Cabinet Minister. A copy of the revised Order dated 6-7-2004 was furnished by the petitioner, but was withheld by the State Government for the reasons best known to them. It was also informed that no Order had been issued by the Government of Madhya Pradesh to specify the terms and conditions of Shri Moghe as the Chairman of the Sansadiya Prakoshtha.

10. Shri K.M. Moghe was elected as a Member of Lok Sabha at the general election to the House of the People held in April-May 2004 and he was appointed as the Chairman of the Madhya Pradesh Sansadiya Prakoshtha on 16-6-2004 and granted the status of Cabinet Minister on 6-7-2004. Thus, it became apparent that the respondent was appointed to the office under reference after his election as a member of Parliament.

11. As the Commission was satisfied that the appointment of the respondent to the aforesaid office was a post-election appointment, the respondent was asked, vide Notice dated 11th September, 2006, to file his reply to the allegations contained in the petition by 29th September, 2006. On 22-9-2006, the respondent submitted an application requesting for extension of time on the ground that he had to engage a counsel in the matter for preparing proper reply and also the bye elections in Madhya Pradesh were likely to be held in October 2006. The Commission considered the request and granted him time up to 27-10-2007 for filing the reply. The Counsel of the respondent, on 23-10-2006, submitted a letter requesting therein to provide some documents submitted by the petitioner and the information received from the Government of Madhya Pradesh in the Commission. The Ld. Counsel also requested for some more time to effectively present his case. The Commission provided a copy of the State Government's letter dated 14-7-2006 (with its annexures) to the Counsel of the respondent and granted him time up to 20-11-2006 to file his reply. On 20-11-2006, the respondent submitted his reply. In his reply, the respondent admitted that he had been occupying the post of the Chairman of the Madhya Pradesh Parliamentary Cell with effect from 16-6-2004. He further stated that the cell is an informal arrangement to facilitate interaction, coordination and pursue the issues of Madhya Pradesh with the Central Government and coordinate between the Members of Parliament of Madhya Pradesh. The cell is not a juridical entity nor a statutory body and thus occupation of a post in the said cell would not amount to holding an Office. He further stated that there is no entitlement to any compensatory/non-compensatory allowance for being the Chairman of the said Cell. The only facilities extended to the Chairman of the Cell are (i) One Driver and one Office Peon, (ii) One telephone at the office, and (iii) for discharge of his functions as Chairman in Delhi alone, one car from the pool. The respondent further stated that benefit, if any, granted under the circular dated 4-2-2004 of the State Government is by reason of the status of Cabinet rank granted to the respondent and not by the reason of occupation of the post of the Chairman of the Cell.

12. The Commission thereafter decided to fix a hearing in the matter on 12-1-2007. After a few adjournments at the request for one or the other party, the hearing was ultimately held on 15-2-2007. In the hearing, neither the petitioner nor any counsel on her behalf appeared. However, on that day, a letter dated 14-2-2007 of the petitioner was received in the Commission. The petitioner therein stated that the respondent in his reply had accepted that he had been enjoying the status of a Cabinet Minister since 6-7-2004 and availing of facilities of a driver/vehicle, office assistant, telephone etc. for discharge of his official functions at New Delhi. She further stated that the office of Chairman of the Parliamentary Cell had not been exempted from disqualification, though it was not a new body and that in the past no chairperson of the cell enjoyed the Cabinet Minister's status. She further sated that even without Cabinet Status the respondent could have functioned as the Chairman of the said Cell. The respondent was represented by Shri Yashobant Das, Sr. Advocate, along with Ms. Anuradha Mukherjee, Advocate and Shri Gyanendra Kumar, Advocate. The respondent also appeared in person.

13. The Ld. senior Counsel Shri Das submitted that the respondent was nominated to the post of the Chairman, Madhya Pradesh Sansadiya Dal by the State Govt. on 16-6-2004 and on 6-7-2004 the respondent was conferred the status of a Cabinet Minister. The job of the respondent is to coordinate among parliamentarians from the State of Madhya Pradesh and it does not amount to holding an office under the State Government. He further submitted the Circular dated 4-2-2006 of the State Government was not applicable in case of Shri Moghe as he was not holding any office which has a legal entity or in a statutory/non-statutory body. The Ld. Counsel further submitted that the respondent is neither entitled to nor has received any pecuniary benefits because of the office held by him.

14. Alternatively, the Ld. Counsel relying on Section 3(i) of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, stated that the respondent is not entitled to nor getting any benefit beyond compensatory allowance and as such the office held by the respondent, i.e., office of the Chairman of the Madhya Pradesh Parliamentary Cell, is exempted from disqualification.

15. After completion of hearing, the Commission asked the respondent to file the synopsis of his written arguments within one week and to serve a copy thereof upon the petitioner.

16. The respondent filed synopsis of his written arguments on 30-3-2007 enclosing therewith a copy of postal receipt showing the service of his written arguments on the petitioner as a proof of service. In his written arguments, the respondent reiterated that the Parliamentary Cell is a mere enabling, coordinating and information disseminating body, whose functions can, in no circumstances, be regarded as an important governmental function, but, on the other hand, the functions which are merely optional from the point of view of the Government and as such the said office is not an office under the Government as contemplated under Article 102 (1) (a). The respondent further stated that by the State Government's Order No. F-16-6-2005/1/4 dated 24-03-2005, he is only entitled for a driver and an office peon and that in that Order there is no provision for grant of any compensation to the Respondent in the event such driver/office peon is not provided nor does it allow the Respondent to engage any such person on his own or claim compensation in lieu thereof. The Respondent further stated that no allowance whatsoever is payble under the aforesaid order; additionally, the provisions are clearly only for the purpose of providing the facilities to enable the respondent to perform his functions as the Chairman. It may be relevant to point out here that the respondent did not choose to bring the said Order dt. 24-3-2005 on record at any stage. On the contrary, the State Government informed the Commission in its letter dated 14-7-2006 that no order had been issued by the Government fixing the terms and conditions of the respondent. The respondent further submitted that the Order No. F 11-36/2003 /Order /3 dated 4-2-2006 does not apply to the respondent as wording of the Order clearly manifests that this applies to bodies enumerated therein and as the Madhya Pradesh Parliamentary Cell is an informal co-ordinating body, with no legal entity, it does not fall within the said categories. The Respondent further submitted that he has neither been granted any of the benefits mentioned in the aforesaid Order nor intimated about his entitlement thereunder. The respondent further submitted that the aforesaid Order has been brought into force on 4-2-2006, i.e. after respondent's appointment to the said cell and after conferring on him the status of a Cabinet Minister and that, therefore, the said Order should have been either published or intimated to the respondent, if he was made entitled to any compensation thereunder and as no intimation was given to the respondent it cannot be said that the respondent is entitled to compensation under the aforesaid order.

17. As neither the petitioner nor any Counsel on her behalf had appeared in the hearing, the Commission decided to obtain the petitioner's comments, if any, on the synopsis of written arguments of the respondent. Thus, the petitioner was asked to make her comments, if any, by 15-4-2007. The petitioner vide her application dated 13-4-2007 requested for one month's time on the ground that she had undergone an eye operation and had been advised to take rest. The Commission considered her request and granted time upto 10-5-2007. The petitioner furnished her comments on 9-5-2007. In her reply, the petitioner reiterated that the Madhya Pradesh Government had conferred the status of Cabinet Minister on the respondent as Chairman , Madhya Pradesh Parliamentary Cell and by reason thereof the respondent had been provided with all the facilities of Minister level by the State Government, viz., a government vehicle (Tata Indica DLQ/1419) has been provided by the Resident Commissioner of Madhya Pradesh situated in Delhi, Staff Car driver, an officer of Section Officer level, two Computer Operators and a Personal Assistant. She further stated that the expenditure of the office is borne by the Madhya Pradesh Government. She further stated that the expenditure on the two telephones installed in the government accommodation allotted in the name Shri Moghe as the Chairman, Madhya Pradesh Parliamentary Cell is also met from the fund of the State Government. She further stated that the respondent has been given the status of Cabinet Minister in the name of and by the Order of the Governor of the Madhya Pradesh which was published in the State Gazette. Therefore, the Government keeps full control over the Cell.

18. The Commission has carefully considered the relevant facts of the case, the contentions of both the parties in the petition, written statement, rejoinder and written and oral submissions of the Ld. Senior Counsel of the respondent made at the time of the hearing. The undisputed facts are that the respondent has been appointed to the office of the Chairman of the Madhya Pradesh Parliamentary Cell on 16-6-2004, i.e. after his election as a Member of Parliament at the general election to the House of People held in April-May, 2004, and that he was conferred the status of Cabinet Minister on 6-7-2004 as the holder of the said office and also he is continuing to hold the said office with the status of Cabinet Minister.

19. The question that falls for determination is whether the office of the Chairman of the Madhya Pradesh Sansadiya Dal which the respondent has been holding with the status of Cabinet Minister is an "office of profit" under the Government of Madhya Pradesh, within the meaning of Article 102( 1 )(a) of the Constitution. The underlying principle and the real intention of the Constitution makers in incorporating the provisions relating to disqualification under Article 102(1)(a) is to keep the legislatures independent of the executives. It was felt desirable that members of legislatures should not feel themselves beholden to the executive government by receiving blandishments from the latter and thereby lose their independence of thought and action in the discharge of their public duties as representatives of the people. This provision also acts as a check on the executive governments to hold out blandishments to members of the

legislatures, so that the latter would be free to carry out their duties to their electorate uninfluenced by any considerations of personal loss or gain. Explaining the above logic behind the provisions of Article 102(1) (a), the Supreme Court observed in Ashok Kumar Bhattacharyya Vs. Ajay Biswas (AIR 1985 SC 211):

> "The approach which appeals to us to interpret the expression 'office of profit' is that it should be interpreted with the flavour of reality bearing in mind the object for enactment of Article 102(1)(a), namely, to eliminate or in any event to reduce the risk of conflict between the duty and interest amongst members of the legislature by ensuring that the legislature does not have persons who receive benefits from the executive and may thus be amenable to its influence."

20. Again, emphasizing the object of Article 191 (1) (a), [which is akin to Article 102(1)(a)], the Supreme Court observed in M.V. Rajashekaran Vs. Vatal Nagaraj (AIR 2002 SC 742):

> "The very object of providing the disqualification under Article 191 of the Constitution is that the person elected to the Legislative Assembly or the Legislative Council should be free to carry on his duty fearlessly without being subjected to any kind of governmental pressure. The Court, therefore, is required to find out as to whether there exits any nexus between the duties discharged by the candidate and the Government, and that a conflict is bound to arise between impartial discharge of such duties in the course of his employment with the duties which he is required to discharge as a Member of Legislature, on being elected. While examining the aforesaid question the Court has to look at the substance and not the form and, further it is not necessary that all factors and tests laid down in various cases must be conjointly present so as to constitute the holding of an office of profit under the Government."

21. The term 'office of profit' is not defined either in the Constitution or in the Representation of the People Act, 1951. However, the Commission has the benefit of illuminating decisions of the Supreme Court in a catena of cases in which the apex court has considered the question on various occasions. The Supreme Court has held that the question has to be decided on the facts of each case. The tests laid down by the Supreme Court basically reduce to the question whether the person is appointed to an office under the Government and whether such office is an office yielding profit to the holder. In Maulana Abdul Shakur Vs. Rikhab Chand (AIR 1958 SC 52), the Supreme Court held:

> "....the power of the government to appoint a person to an office or to continue him in that office or revoke his appointment at their discretion and payment from out of Government revenues are important factors in determining whether a person is holding an office or profit under the Government, though payment from a source other than Government is not always a decisive factor."

22. In Shivamurthy Swami Inamdar Vs. Agadi Sanganna Andanappa (AIR 1971 SCC 870), the Supreme Court summed up the following tests to determine whether an office is an office of profit under the Government:

(i) Whether the Government makes the appointment;

(ii) Whether the Government has the right to remove or dismiss the holder;

(iii) Whether the Government pays remuneration;

(iv) What the functions of the holder are and does he perform them for Government; and

(v) Whether the Government exercises any control over the performance of these functions.

23. The Supreme Court has held in various subsequent cases that all the above tests need not co-exist conjointly for determining whether an office is an office of profit under the Government. In Madhukar G.E. Pankakar Vs. Jaswant Chobbildas Rajani [(1977) SCC 70], the Supreme Court observed that for deciding the question whether an office is an 'office of profit' under the Government, it is the circumstances that have to be looked at and not the form and further all the several factors stated by the Court, as determinative of the holding of an office under the Government, need not be conjointly present.

24. For, deciding the question of alleged disqualification of the respondent herein, Shri K.M. Moghe, referred to it by the President, the Commission has to be guided by, and apply, the above tests laid down by the Supreme Court to the facts and circumstances of the case of appointment of the respondent to the post of Chairman of the Madhya Pradesh Sansadiya Prakoshtha. The work 'office' has been interpreted by the Supreme Court to mean a position or place to which certain duties are attached, especially one of a more or less public character. In Kanta Kathuria Vs. Manak Chand Surana (AIR 1970 SC 694), the test laid down by the Supreme Court was that the office should be subsisting, permanent, substantive position which had an existence independent from the person who filled it, which went on and was filled in succession by successive holders. This principle was upheld in the case of Rabindra Kumar Nayak Vs. Collector, Mayurbhanj [(1999) 2 SCC 627] also. In the case of M. V. Rajashekharan Vs. Vatal Nagaraj [(2002) 2 SCC 704], even the office of Chairman of one man Commission specially constituted was also held to be an 'office' for the purpose of disqualification. In the case of the present respondent, it is seen that the office of the chairman of the Madhya Pradesh Sansadiya Prakoshtha is, as per respondent's own case, an arrangement to facilitate interaction, coordination and pursue the issues of Madhya Pradesh with the Central Government and coordinate between the Members of Parliament from Madhya Pradesh. The function of the said office involves liasing with the Members of Parliament from Madhya Pradesh, providing the documents and information regarding the proceedings in the

Parliament and the details of the discussion/agenda items, etc. Going by the above propositions laid down by the Supreme Court in above mentioned cases, it is further seen that the office of the Chairman of Madhya Pradesh Sansadiya Prakoshtha is a continuing office which had been created by the State of Madhya Pradesh before the respondents appointment thereto and has been filled in succession by successive holders, as is evident from the Government Order dated 16-6-2004 whereby the respondent was appointed to replace the previous incumbent, Shri Thanwar Chand Gehlot. Thus, the first requirement of Article 102(1)(a) of the Constitution is met in that the respondent has been nominated by the Government of Madhya Pradesh to an 'office' within the meaning of Article 102(1)(a).

25. The next ingredient is to be looked into is whether the office held by the respondent is an "office under the Government of Madhya Pradesh". It cannot be disputed that the nomination of the respondent to the office of the Chairman of the Madhya Pradesh Sansadiya Prakoshtha, has been made by the Government of Madhya Pradesh; this is evident from the appointment Order No. F.19-194/2003/1/4 dated 16-6-2004, which has been issued by the General Administration Deptt. of Madhya Pradesh and shows ex-facie that the nomination has been made by the Order of the Govt. of Madhya Pradesh. The respondent has nowhere contended that once appointed he cannot be removed from office by the Government. Thus, the Government has the power to remove him from the office. It is also not in dispute that all expenses on the maintenance of that office are borne by the State Government from out of its funds. Further, the fact that the respondent has been conferred the status of Cabinet Minister vide an executive Order No. 3-39/2004/one/1/dated 6-7-2004 in the name of and by Order of the Governor of Madhya Pradesh also conclusively shows that the office of the Chairman of the Madhya Pradesh Parliamentary Cell is an office under the State Government. The further fact that the respondent was nominated to the office of the Chairman of the Madhya Pradesh Sansadiya Prakoshtha with the status of Cabinet Minister with the attendant benefits and facilities must lead to the obvious conclusion that the Cell and its Chairman had certain duties to perform and tasks to accomplish for the Government. No Government could set up a Cell and make appointments thereto with such high status and expenditure without any significant reason or end to achieve. Having regard to the above, the tests laid down by the Supreme Court to determine whether the office held by the respondent is 'an office under the Government' are also fully satisfied in the present case.

26. The next important issue which has to be looked into in this case is whether the respondent is holding an "office of profit" on account of his being the Chairman of the Cell. The petitioner in his petition stated that the respondent is enjoying the status, position, perks which are available to a Cabinet Minister in the State by virtue of his deemed status of a Cabinet Minister given by the State of Madhya Pradesh. She further stated that the respondent is getting benefits of allowances, car, staff and other executive and financial powers which are associated with an connected to the post. By way of additional information dated 30-5-2006 furnished by her in response to the Commission's notice dated 11-05-2006, she has submitted a copy of the letter dated 4th February 2006 of the State Government containing the details of remuneration payable and other facilities provided to the Chairman and Vice-Chairman of various public sector undertakings/ Corporations/Divisions/Autonomous bodies and other bodies and committees. The copy of the letter is reproduced in verbatim here :—

"मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन—मंत्रालय—भोपाल

क्रमांक एफ 11-36/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 4 फरवरी, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

**विषय**— राज्य के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मण्डलों/सवायत्त संस्थाओं के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/सदस्यों को देय वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं ।

**संदर्भ**— वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 1968/1968/2001/सी/चार, दिनांक 16 अक्तूबर, 2001 ।

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 16 अक्तूबर, 2001 को निरस्त करते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मण्डलों/सवायत्त संस्थाओं के अशासकीय पदाधिकारियों को संलग्न परिशिष्ट के अनुसार वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जावें । यह वेतन भत्ते एवं सुविधाएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन देय होंगी :–

(1) यदि किसी सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मण्डल, स्वायत्त संस्था, के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य को इस हेतु लागू अधिनियम के अन्तर्गत कोई सुविधाएं देय हैं तो उन्हें उस अधिनियम के अनुसार सुविधाओं की पात्रता होगी ।

(2) यदि किसी सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मण्डल, स्वायत्त संस्था, आयोग के पदाधिकारी विधायक है, तो उन्हें देय वेतन की राशि में से विधायक के रूप में प्राप्त वेतन अथवा पेंशन के रूप में प्राप्त राशि का समायोजन किया जाए, किन्तु कंडिका –

(1) की इस प्रावधान पर वरीयता होगी ।

(3) दूरभाष व्यय सीमा के अन्तर्गत राशि में रुपये 750 प्रतिमाह तक का व्यय मोबाईल फोन पर अनुमत होगा, परंतु शर्त यह होगी कि इन पदाधिकारियों को दूरभाष व्यय की जो अधिकतम सीमा निर्धारित है वह मोबाईल फोन पर हुए व्यय को मिलाकर रहेगी मोबाईल उपकरण का क्रय पदाधिकारियों को स्वयं करना होगा ।

(4) सार्वजनिक उपक्रम, निमग, मण्डल, स्वायत्त संस्था के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों को ही उपर्युक्त सुविधाओं की पात्रता होगी इन संस्थाओं के सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए रेल के वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी से यात्रा की सुविधा तथा बैठक हेतु रुपये 1000 मानदेय देय होगा ।

"(5) यदि किन्ही अन्य समिति संस्था आदि में नियुक्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है, तो उन्हें अध्यक्ष को देय सुविधाओं की ओर यदि राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है, तो उन्हें उपाध्यक्ष को देय सुविधाओं की पात्रता होगी । यदि कोई महानुभाव किसी भी निगम मण्डल समिति इत्यादि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य नियुक्त नहीं हैं, तब भी उन्हें मंत्री/केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है, तो उन्हें अध्यक्ष को देय वेतन भत्ते एवं सुविधाओं को तथा यदि ऐसे महानुभाव को राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है, तो उन्हें उपाध्यक्ष को देय वेतन भत्ते एवं सुविधाओं की पात्रता होगी ।

(6) सार्वजनिक उमक्रम, निगम, मण्डल, स्वायत्त संस्था के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों को सर्किट हाऊस/रेस्ट हाऊस में निवास हेतु आरक्षण के संदर्भ में मंत्री/राज्यमंत्री के समान सुविधाओं की पात्रता होगी, भले ही मंत्री/राजयमंत्री का दर्जा नहीं दिया गया हो । विधायक न होने की स्थिति में भी इन अध्यक्षों/उपाध्यक्षों को सर्किट हाऊस/रेस्ट हाऊस में निवास हेतु आरक्षण हेतु उपर्युक्तानुसार सुविधा की पात्रता होगी ।

(7) मंत्री/राजयमंत्री का दर्जा प्राप्त पदाधिकारियों को "गार्ड ऑफ ऑनर" की व्यवस्था लागू नहीं होगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा उनके आदेशानुसार
ह./-
(ए. पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

सार्वजनिक उपक्रम निगम मंडल स्वायत्त संस्था के अशासकीय पदाधिकारियों को देय वेतन भत्ते एवं सुविधाएं :—

| क्र. | देय सुविधा का प्रकार | अध्यक्ष | उपाध्यक्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | वेतन | रुपये 4000 मासिक | रुपये 3000 मासिक |
| 2 | सत्कार भत्ता | रुपये 5000 मासिक | रुपये 3000 मासिक |
| 3 | यात्रा, दैनिक भत्ते | रुपये 80 राज्य के भीतर<br>रुपये 120 राज्य के बाहर | रुपये 80 राज्य के भीतर<br>रुपये 120 राज्य के बाहर |
| 4 | वाहन | 1 | 1 |
| 5 | वाहन चालक | 1 | 1 |
| 6 | पेट्रोल सीमा | 120 लीटर प्रतिमाह | 100 लीटर प्रतिमाह |
| 7 | यात्रा सुविधा | वायुयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी | वायुयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी |
| 8 | चिकित्सा सुविधा | विधायक होने की स्थित में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप | विधायक होने की स्थित में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप |
| 9 | निजी स्टाफ | निजी सचिव—एक<br>निजी सहायक—एक<br>भृत्य—दो | निजी सहायक—एक<br>भत्य-दो |
| 10 | दूरभाष | कार्यालय—एक<br>निवास—एक | कार्यालय—एक<br>निवास—एक |
| 11 | दूरभाष व्यय सीमा | रुपये 30,000 प्रति वर्ष प्रति दूर-भाष, (किराया छोड़कर) | रुपये 30,000 प्रति वर्ष (किराया छोड़कर) |
| 12 | किरायें के आवास की सुविधा | रुपये 8150 आवास किराया प्रति माह | रुपये 6750 आवास किराये प्रति माह |

ह./-

बाबूलाल जैसवार, अवर सचिव,
म. प्र. शासन, वित्त विभाग"

27. The respondent, in his written arguments, has contended that the Order No. F. 11-36/2003/Order/3 dated 4-2-2006 does not apply to him as the wording of the Order clearly manifests that the Order applies to bodies enumerated therein and as the Madhya Pradesh Parliamentary Cell is an informal co-ordinating body, with no legal entity, it does not fall within the said enumerated bodies. The Respondent has further contended that he has neither been granted any of the benefits mentioned in the aforesaid Order nor been intimated of his entitlements thereunder. Apart from this, the respondent has further submitted that the aforesaid Order has been brought on 4-2-2006, i.e., after his appointment to the said Cell and after conferring status of a Cabinet Minister on him, and, therefore, the said Order should have been either published or intimated to the respondent if the respondent was made entitled to any compensation thereunder and as no intimation was given to the respondent it cannot be said that the respondent is entitled to any remuneration or facilities under the aforesaid order. In reply to these contentions of the respondent, the petitioner has stated that the Madhya Pradesh Government

has conferred the status of Cabinet Minister to the Chairman, Madhya Pradesh Parliamentary Cell and by reason of this the respondent has been provided with all the facilities of Minister level by the State Government, viz., a Government vehicle (Tata Indica DLQ/1419) by the Resident Commissioner of Madhya Pradesh situated in Delhi, Staff Car driver, an officer of Section Officer level, Two computer operators and personal Assistant.

28. It is seen from item No. 5 of the circular dated 4-2-2006 (reproduced above) issued by the Finance Department of the State Government, that if the Chairman/ Vice-Chairman/Member of any other Committee/ Organisation etc. is conferred the status of Cabinet Minister then he too would be entitled to the same remuneration and facilities as have been provided to the Chairman of the statutory bodies, etc. mentioned in the Annexure to the said Circular. Furthermore under the aforesaid item No. 5 any person who has been conferred the status of Cabinet Minister, even if he is not appointed as the Chairman/Vice-Chairman/member of any Corporations/Divisions/ Committees etc., will be entitled to the same salary, allowances and facilities as are applicable to the Chairman of Corporations etc., as shown in the said Annexure to the Circular dated 4-2-2006. In view of the above, the argument of the Ld. Counsel that the Order is not applicable in case of the respondent is bereft of all merit and is not acceptable.

29. It is also beyond belief that the respondent was not aware of the State Government Circular dated 4-2-2006 laying down the remuneration and facilities to be provided by the State Government to persons who had been conferred the status of Cabinet Minister. It that was so, how he has been enjoying the benefit of Car (Tata Indica) provided by the Resident Commissioner of Madhya Pradesh to him, when he claims that, as per the Government's order dated 24-3-2005 (which he chose not to bring on record), provided to him only the facility of a driver and a peon. His job is to keep all MPs of Madhya Pradesh informed about the developments in the State for better liaison with the Central Government and no body would believe that he was not aware of a State Government's decision which personally affected him.

30. As regard his contention that he has not drawn any emoluments and not availed of any benefits under the said Circular dated 4-2-2006 of the State Government, the following observation of the Supreme Court in Smt. Jaya Bachchan Vs. Union of India (AIR 2006 SC 2119) conclusively answer the same :

> "It is well settled that where the Office carries with it certain emolument or the order of appointment states that the person appointed is entitled to certain emolument, then it will be an office of profit, even if the holder of the office choose not to receive/draw such emoluments. What is relevant is whether pecuniary gain is "receivable" in regard to the office and not whether pecuniary gain is, in fact, received or received negligibly. Therefore, in this case whether the benefits have been received or not is immaterial".

31. It is thus fully established that the respondent was entitled to emoluments and facilities as enumerated by the State Government in its Circular dated 4-2-2006 and that made the office held by him with the status of Cabinet Minister as an office of Profit under the Government, at least from 4-2-2006. In this context, it is very significant to take notice of his own admission in para 8 of this written statement that "it is thus submitted that benefit, it any, granted under the Circular dated 4-2-2006 is by reason of the status of Cabinet rank being granted to the respondent and not by reason of occupation of the Chairman of Madhya Pradesh Parliamentary Cell". While making this admission in his written Statement, he has conveniently forgotten that the status of Cabinet Minister was conferred on him by virtue of his appointment as Chairman of the said Cell.

32. The last crucial issue is whether the office held by the respondent has been exempted by law by Parliament under Article 102(1)(a) or not. It was contended, on behalf of the respondent, that even if the post of Chairman of the said Cell is an 'office of profit' under the Government, the holder thereof is not disqualified as the disqualification in respect of that post stands removed by the provisions of section 3(i) of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959. For facility of reference, the relevant clause (i) of section 3 of the 1959 Act is reproduced below :

> "3. **Certain offices of profit not to disqualify :** It is hereby declared that none of the following offices, in so far as it is an office of profit under the Government of India or the Government of any State, shall disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of Parliament, namely :
>
> * * * * *
>
> (i) the office of chairman, director or member of any statutory or non-statutory body other than any such body as is referred to in clause (h), If the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance, but excluding (i) the office of chairman of any statutory or non-statutory body specified in Part II of the Schedule; (ii) the office of chairman or secretary of any statutory or non-statutory body specified in Part II of the Schedule;"

33. The term 'compensatory allowance, referred to in the above section has been defined in section 2(a) of the above Act as follows :

> "2 (a) "Compensatory Allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance such allowance not exceeding the amount of daily allowance to which a member of Parliament is entitled under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), any conveyance allowance, house rent

allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions, of that office."

34. A conjoint reading of the above mentioned provisions of sections (3)(i) and 2(a) makes it clear that for an 'office' to be protected against disqualification under the above mentioned clause (i), the following condition must be satisfied;

The holder of office should not be entitled to any remuneration other than 'compensatory allowance'.

35. The Commission has already held above that the respondent is not only entitled to certain compensatory allowances but also to remuneration of Rs. 4,000 per month and other perks in addition by virtue of order dated 4-2-2006, of the State Government for having been conferred with the status of Cabinet Minister by the State Government Order dated 6-7-2004. Thus, the very condition mentioned in clause (i) of section 3 of 1959-Act for exempting the holder of certain offices from the purview of disqualification under Article 102 (1) (a) is not satisfied in the present case. Therefore, the contention of the learned senior counsel that the office held by the respondent is covered by the provisions of section 3(i) of the 1959-Act for exemption from disqualification is not acceptable to the Commission.

36. In view of the forgoing, the Commission is fully satisfied that office of Chairman of the Madhya Pradesh Parliamentary Cell to which Shri K. M. Moghe has been nominated by the State Government of Madhya Pradesh by its Order dated 16th June, 2004 and conferred the status of Minister, is an 'office of profit under the Government of Madhya Preadesh' within the meaning of Article 102(1)(a) of the Constitution. Further, the Commission is also satisfied that the said office of Chairman of the Cell is not exempt, inder the provisions of Section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualificaton) Act, 1959, from disqualification under the said Article 102 (1) (a) of the Constitution.

37. The respondent has also contended, though feebly, that he having the status of Cabinet Minister is exempted from disqualification under Article 102(1) (a) by virtue of Explanation to Article 102(1) whereby Ministers of the Union or of the States have been kept out of the purview of disqualification. The contention also holds no water, as the exemption granted under the said explanation is to Ministers and not persons given the status of Minister.

38. Having regard to the above constitutional, legal and factual position, the Commission is of the considered opinion that Shri Krishna Murari Moghe became disqualified under Article 102(1) (a) of the Constitution for being a member of the Lok Sabha on his nomination by the Government of Madhya Pradesh as Chairman of the Madhya Pradesh Parliamentary Cell on 16-6-2004 and on being conferred the status of Cabinet Minister on 6-7-2007.

39. The reference from the President is accordingly returned with the opinion of the Commission to the above effect.

S. Y. Quraishi Election Commissioner

N.Gopalaswami Chief Election Commissioner

(Navin B. Chawla) Election Commissioner

Place : New Delhi
Dated : 22nd June, 2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.